प्राचार्य का कार्यालय राजकीय पोलिटेकनिक दरभंगा

पत्रांक:--

/दरभंगा, दिनांक:-

''कार्यालय आदेश''

संस्थान के सभी Anti-Ragging Committee के सदस्यों को निदेश दिया जाता है कि वर्गाध्यापन की अवधि में प्रतिदिन समय—समय पर निरीक्षण करेंगें।

निरीक्षण के कम में अगर कोई भी प्रथम सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं के साथ Ragging करते हुए पाया जाता है, तो उस पर नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगें। कोई भी छात्र/छात्रा या उनका समूह किसी भी प्रकार से ''रैगिंग'' में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित पाए जाते है तो "AICTE" नियम के अनुरूप उनपर निम्निलखित दण्डनात्मक कार्यवाई की जा सकती है, कार्यवाई निम्न प्रकार की जा सकती है।

- (i) Cancellation of admission
- (ii) Suspension from attending classes
- (iii) Withholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits
- (iv) Debarring from appearing in any test/examination or other evaluation process
- (v) Withholding results
- (vi) Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
- (vii) Rustication from the institution for period ranging from 1 to 4 semesters
- (viii)Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution.
- (ix) Collective punishment: when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on the potential raggers.

ह0 / – प्राचार्य राजकीय पोलिटेकनिक दरभंगा

ज्ञापांक:-1968

/ दरभंगा, दिनांक:-0 8/12/2021

प्रतिलिपि:— 1.छात्र सूचनापट्ट 2. Anti-Ragging Team / सभी शिक्षकों 3. परीक्षाशाखा 4. निबंधनशाखा 5.रोकड़शाखा, रा० पो०, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।

राजकीय स्ट्रिक्टकनिक

A/12/21